परिशिष्ट -'ए'

प्री इंडक्शन प्रशिक्षण में शामिल होने हेतु दिशानिर्देश

प्रतिविद्रोहिता एवम् आतंकवाद विरोधी स्कूल सिलचर

1) परिचय :–

प्रतिविद्रोहिता एवम् आतंकवाद विरोधी स्कूल, दयापुर, सिलचर, असम 23 फरवरी, 2005 को अस्तित्व में आया। यह स्कूल पूर्वोत्तर भारतीय राज्यो में संघर्ष परिदृश्य में परिचालन आवश्यकताओं पर विशेष जोर देने के साथ विद्रोहिता विरोधी एवम् आतंकवाद से लडने हेतु विशेष अग्रिम/एडवांस प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह संस्थान असम के दयापुर, सिलचर कछार जिले में खूबसूरत सुरम्य चाय बागानों से घिरे छोटे–छोटे पहाडियों के विशाल समूह में स्थित है। यह तीन पडोसी राज्यों मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए मुख्य पारागमन बिंदु भी है।

2) लक्ष्य :–

प्री. इंडक्शन प्रशिक्षण का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये तैनात कर्मियों को परिचालन संस्कृतियों, संगठनात्मक उद्देश्यों और परिचालन के नये क्षेत्रों की जमीनी स्तर की वास्तविकताओं से परिचित कराना है। यह व्यवहार, संगठनात्मक उद्देश्यों, पदानुक्रम और प्रक्रियाओ के बारें में प्राथमिक अपेक्षाओं की संरचना करता है। संगठनात्मक आवश्यकताओं के लिए कर्मियों को जल्दी से क्षेत्र से अनुकूलित करने के लिए पी.आई. प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। यह प्रभावी रुप से किसी भी परिचालन घर्षण या संज्ञानात्मक असंगति को रोक सकता है और संगठनात्मक लक्ष्यो के साथ कर्मियों के त्वरित एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है।

3) प्रशिक्षण की रुपरेखा :–

यह पूर्वोत्तर भारत में उत्पन्न टकराव हेतु क्षेत्रीय विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक एवं उन्नत ऑपरेशन रणनीति, नेतृत्व एवं कॉम्बैट सर्वाईवल का गुणवता पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित निर्देशों के पालन हमें अपने '' ज्ञान आत्मविश्वास एवं प्रहार '' के आदर्श वाक्य के अनुरूप काम करने में हमारे प्रयासों में बहुत मदद करेगा ।

1. बाधा/ऑब्स्टेकल कोर्स
2. दिशा–निर्देशन/नेवीगेशन
3. ओरिएंटियरिंग
4. उत्तरजीविता/सर्वाईवल प्रकिया
5. गैप पार करना/क्रॉसिंग
6. उत्तम निशानेबाजी/मार्क्समेनशिप
7. सामरिक/टैक्टिकल कोर्स
8. व्यापक अभ्यास

4) स्थान :–

वर्तमान में प्रतिविद्रोहिता एवं आतंकवाद विरोधी स्कूल, व जोनल प्रशिक्षण केन्द्र (जेड.टी.सी) समूह केन्द्र के0रि0पु0बल सिलचर के परिसर में ही कार्यरत है। इसके नजदीकी बाजार, डाकघर, राष्ट्रीय एकीकृत बैंक और पुलिस थाना उधारबन्द में हैं जो कैम्प से पश्चिम दिशा में है तथा 04 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । यह स्कूल हवाई, रेल और सडक मार्ग से अच्छी तरह से जुडा हुआ है।

क्रम सं0	कहॉ से	दूरी	अनुमानित समय
01	कुम्भीग्राम हवाई अड्डा	16 कि.मी	25 मिनट
02	सिलचर रेल्वे स्टेशन	18 कि.मी	25 मिनट
03	सिलचर आई.एस.बी.टी	25 कि.मी	40 मिनट

* सिलचर शहर गुवाहाटी से सिलचर तक रेलवे ब्रॉड गेज ट्रैक के द्वारा जुडा हुआ है। गुवाहाटी, नई दिल्ली और सियालदाह से सिलचर तक तीन ट्रेन (दैनिक, साप्ताहिक और सप्ताह में दो बार) प्रस्थान और आगमन करती है। गुवाहाटी से सिलचर तक ट्रेन से यात्रा करने में 12 घंटे लगते है।

* गुवाहाटी और सिलचर के बीच नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है और यात्रा करने पर लगभग 12 घंटे का समय लगता है।

5) मौसम :–

सिलचर उत्तरी गोलार्द्ध में उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र के करीब है। मौसम आमतौर पर उच्च आर्द्रता के साथ साथ उष्ण कटिबन्धीय होता है जो कई बार 95 प्रतिशत तक (ग्रीष्मकाल में) बढ़ जाती है । सर्दी के समय पारा शायद हीं 10 प्रतिशत से नीचे आता है। यह क्षेत्र अप्रैल से सितम्बर तक भारी और अप्रत्याशित बरसात का गवाह है, अक्टूबर से फरवरी तक मौसम तुलनात्मक रूप से सुखद रहता है एवं शेष वर्ष में गर्म अैर आर्द्र रहता है ।

6) इलाका :–

प्रतिविद्रोहिता एवं आतंकवाद विरोधी स्कूल, के0रि0पु0बल बराक नदी के तट पर स्थित है और विशाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अधिकांश पहाडिया छोटे आकार की सघन वनस्पतियो युक्त द्वितीयक प्रकार के जंगल से आवृत्त हैं। सिलचर के आस पास के ईलाके निचले ईलाके है जो कि बरसात के दिनों में जलमग्न रहते है । सामान्यतः प्रतिविद्रोहिता एवं आतंकवाद विरोधी स्कूल व जेड.टी.सी के.रि.पु. बल का ईलाका भी समान प्रकार का ही है।

7) रहने हेतु आवास :–

इस संस्थान में अभी तक कोई स्थायी निर्माण नही हुआ है। इस संस्थान में उपलब्ध अर्द्ध स्थायी हट, प्री–फैब्रिकेटेड हट्स का इस्तेमाल प्रशिक्षुओं के रहने के लिए किया जाता है ।

8) भोजन व प्रशासनिक बन्दोबस्त :–

इस संस्थान में भोजनालय की सुविधा दी जाती है। इस संस्थान में मैस से संबंधित डाईनिंग हॉल, कूक हाउस ,और राशन स्टोर के लिए कमरे उपलब्ध है। इसके अलावा इस संस्थान में कोर्स के दौरान राजपत्रित अधिकारी मैस, एस0ओ0 मैस, अन्य सैनिक मैस के संचालन हेतु कूक, जलवाहक, बर्तन और अन्य सामान उपलब्ध है । मैस के उचित संचालन हेतु प्रशिक्षुओं से मैस अग्रिम के तौर पर राज0 अधि0 से रू0 8,000, अधी0 अधि0 से रू0 6,000 एवं अन्य रैंक से रू0 5,000 की राशि जमा की जायेगी।

9) चिकित्सा सुविधा :–

कैम्प परिसर के अन्दर 50 बैड का संयुक्त अस्पताल उपलब्ध व सुचारु कार्यरत है। उधारबन्द में भी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है, जिसकी दूरी 04 कि0मी0 है। गंभीर और जटिल उपचार के लिए मरीजों को सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एस.एम.सी.एच) भेजा जाता है, जो इस संस्थान से 22 कि.मी दूरी की पर है।

10) मनोरंजन और खेल–कूद की गतिविधियॉ :–

इस संस्थान में प्रशिक्षुओं एवं जवानों के मनोरंजन हेतु टी0वी0, समाचारपत्रों की सुविधाओं के साथ मनोरंजन कक्ष, अच्छी तरह से भंडारित पुस्तकालय और खेल सुविधायें जैसे– शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, वॉलीबाल, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल आदि उपलब्ध है।

11) अन्य सुविधायें :–

1. परिसर में दैनिक जरूरत की पूर्ति हेतु प्रतिविद्रोहिता एवं आतंकवाद विरोधी स्कूल, के0रि0पु0बल के ड्राई एवं वेट कैन्टीन में दैनिक जरूरतो के सामान, चाय, कॉफी, मिठाई, स्नैक्स आदि उपलब्ध रहते है ।
2. इस संस्थान के नजदीक लगभग 04 कि.मी की दूरी पर उधारबंद बाजार है।
3. स्टैट बैंक ए.टी.एम की सुविधा कैम्प परिसर में उपलब्ध है। ए.टी.एम सुविधा वाले एस.बी.आई और यु.बी.आई जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक उधारबंद बाजार में भी उपलब्ध है।

12) सारे पत्राचार निम्न पते पर किये जाये :–

सेवा में,

श्रीमान प्राचार्य महोदय

सी.आई.ए.टी. स्कूल के.रि.पु.बल

दयापुर, पोस्ट– उधारबंद,

सिलचर, जिला– कछार

(असम) पिन– 788030

संपर्क नंबर :–

प्राचार्य 03841–280558 (कार्यालय)

कमाण्डेन्ट 03841–280456 (कार्यालय)

नियंत्रण कक्ष 03841–280052 और 280456 (फोन और फैक्स)

ग्रुप केन्द्र सिलचर (एक ही परिसर के भीतर) 03841–280455

ई–मेल – principalciats@gmail.com

<u>अन्य निर्देश</u>

1) योग्यता :–

सिलचर के विपरीत मौसम की परिस्थितियों में प्रशिक्षण में निरंतर और कठिन शारीरिक तनाव युक्त एक्सरसाईज शामिल रहती है। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण के प्रथम दिन मेडिकल रुप से फिट होना जरुरी है (मान्य ए.एम.ई शेप– एक)। प्रशिक्षुओं को 3.2 कि0मी0 दौड, 08 कि0ग्रा0 भार, राईफल और वेब उपकरणों के साथ 10 कि0मी दौडने में समर्थ होना चाहिए। पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रत्येक प्रशिक्षु का फिटनेस हेतु चिकित्सा परीक्षा किया होना जरुरी है, जो उनकी वाहिनी से प्रस्थान करने से 07 दिन पहले का होना चाहिए। निम्न चिकित्सा श्रेणी/मेडिकल केटेगरी वाले एवं पुरानी/स्थायी बीमारी से ग्रसित प्रशिक्षुओं को इस प्रशिक्षण में नही भेजना चाहिए।

प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज :–

इस संस्थान में रिपोर्ट करने पर प्रत्येक प्रशिक्षु निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

1. अपने नवीनतम और वैध वार्षिक चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट की फोटो कॉपी।
2. उचित और सुव्यवस्थित हस्ताक्षर, नाम और मोहर के साथ पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कोर्स करने के लिये जारी किये गये फिटनेस प्रमाणपत्र की एक प्रति।
3. कार्यालय आदेश/संचलन आदेश, मैस अग्रिम।
4. पहचान पत्र की फोटोकॉपी।
5. प्रशिक्षुओं की वापसी यात्रा के लिये एयर वाउचर/रेलवे वॉरंट।
6. कॉम्बैट वर्दी में प्रशिक्षुओं की नवीनतम पासपोर्ट साईज के 04 फोटोग्राफं।

2) प्रशिक्षण की अवधि :–

पी.आई प्रशिक्षण की अवधि 03 सप्ताह या 18 कार्य दिवसों की होगी। इस कोर्स के लिये प्रशिक्षुओं को कम से कम (02) दो दिन पहले इस संस्थान में रिपोर्ट करना चाहिए। देरी से आने वाले प्रशिक्षुओं को प्रवेश नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को कोई भी छुट्टी नही दी जायेगी । यदि विषम परिस्थितियों में छुट्टी की अनुमति दी जाती है तो, यह समझा जायेगा कि यह रिक्ति प्रशिक्षु की वाहिनी के द्वारा समर्पित की गई है।

3) अनुशासन :–

प्रशिक्षुओ से उच्च स्तर की अनुशासन और आज्ञाकारिता को बनाये रखने की उम्मीद की जाती है। शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है, क्योंकि सिलचर के प्रतिकूल वातावरण में ऐसा करना जिन्दगी के खतरे का कारण बन सकता है। निर्धारित प्रणाली के द्वारा ही कोई भी शिकायत प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रशिक्षुओं को कैम्प परिसर से बाहर जाने की अनुमति नही होगी और प्रशिक्षण के दौरान उनको आउट पास नहीं दिया जायेगा। सभी को प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मैस समय का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

4) प्रशिक्षण से वापसी :–

1.) इस कोर्स मे केवल योग्य और उपयुक्त कार्मिकों को ही चयनित किया जाये। कार्मिकों को निर्धारित मानक के अनुरूप नही होने पर अथवा इस प्रशिक्षण की गुणात्मक आवश्यक्ताओं को पूरा नही करने पर, विषयो को आत्मसात करने में असमर्थ होने पर, शारीरिक परिश्रम करने में असमर्थ होने पर उन्हे वापस उनकी वाहिनी में भेज दिया जायेगा और अयोग्य कार्मिको को नियुक्त करने एवं प्रशिक्षण के लिये भेजने के लिए मात्र वाहिनी को जिम्मेदार माना जायेगा ।

2.) जो भी कार्मिक चिकित्सीय रूप से अयोग्य है या किसी बीमारी से पीडित है उन्हे कोर्स में शामिल नही किया जायेगा।

3.) जो भी कार्मिक 02 दिन या उससे अधिक किसी भी कारण से प्रशिक्षण से अनुपस्थित होता है तो उसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जायेगा तथा उसे उसकी वाहिनी में वापिस भेज दिया जायेगा ।

4.) अनुशासनहीनता के कारण प्रशिक्षणार्थी को कोर्स से निकाल कर उसकी वाहिनी में वापस भेज दिया जायेगा

5) प्रस्थान :–

प्रशिक्षुओं को कोर्स की सामाप्ति के बाद और नियत मंजूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्हे समूहों में उनकी वाहिनी में भेजा जायेगा । कई बार हथियारों की साफ सफाई और संस्थान के आर्मोरर से हथियार संबन्धी मंजूरी मिलने में और अदालती जॉच की कार्यवाही होने में 03 दिन का समय भी लग सकता है। इसलिए प्रशिक्षुओं को कोर्स के बाद 03 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए रहने और उसके अनुसार वापसी के आरक्षण व्यवस्था के साथ तैयार होकर आना चाहिए। कोर्स के निर्देशन कर्मचारी के परामर्श के बाद अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षुओ अपना अग्रिम रेल आरक्षण करवा सकते है। प्रशिक्षुओं के आगमन एवं प्रस्थान के समय इस संस्थान के द्वारा रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा एवं बस स्टैन्ड तक बस की सुविधा मुहैया कराई जाती है। प्रशिक्षुओं की बटालियन से अनुरोध है कि सभी अपने प्रशिक्षुओं के आगमन एवं प्रस्थान की जानकारी एवं निगरानी अपने स्तर पर करेंगें। सभी कार्मिक अपने वापसी जाने हेतु रेलवे यात्रा पास एवं हवाई यात्रा पास अपनी बटालियन से लाना सुनिश्चित करेंगें, इस संस्थान के द्वारा हवाई यात्रा पास या रेलवे वारंट किसी भी प्रशिक्षु को प्रदान नही किया जायेगा ।

6) पोशाक और साजो सामान :– प्रशिक्षुओं के द्वारा निम्नलिखित साजो सामान अनिवार्य रुप से लाने की आवश्यकता है।

01	एंकलेट के साथ कॉम्बेट ड्रेस/डांगरी	:	04 जोड़े
02	नई पेटर्न की कॉम्बेट ड्रेस		01 जोड़े
03	कॉम्बेट टी–शर्ट		04 जोड़े
04	बैरेट कैप		01 नग
05	जंगल शूज	:	02 जोडे
06	सूती जुराब (नायलोन के जुराब निषेध है)	:	04 जोड़े
07	ग्राउन्ड शीट	:	01 नग
08	''ए'' स्केल हैवर शेक पूरे सामान के साथ	:	01 सेट
09	''बी'' स्केल हैवर शेक पूरे सामान के साथ	:	01 सेट
10	रस्सी के साथ पानी की बोतल	:	01 नग
11	08 पैक सिंथेटीक वेव इक्युपमेन्ट	:	01 नग
12	रैन कोट	:	01 नग
13	वाटर प्रुफ शीट '' 6x9'' कम से कम	:	01 नग
14	लाइट बेडींग, मच्छरदानी के साथ	:	01 सेट
15	स्टेशनरी सामान मैप रिडींग हेतु तथा अन्य लेखन सामग्री	:	01 सेट
16	सर्विस प्रोटेक्टर और रोमर	:	01 सेट
17	जंगल हेट और मंकी टोपी	:	01 प्रत्येक
18	निजी कपड़े	:	आवश्यक्ता और मौसम के अनुसार
19	अच्छी गुणवत्ता का कमाण्डो रोप न्यूनतम 03 मीटर	:	01 नग
20	जी0पी0एस0 नवीनतम पेटर्न वाला	:	01 प्रत्येक पॉच प्रशिक्षु के लिये
21	पॉकेट डायरी	:	01 नग
22	राईफल सिलींग(अधिकतम 3–पोईन्ट राईफल सिलींग, पुल थ्रु, हथियार की सफाई का सामान	:	01 सेट
23	व्यक्तिगत हथियार	:	केवल 5.56 मिमी इन्सास राईफल

7) हथियार एवम् एम्युनेशन –

सभी प्रशिक्षु केवल 5.56 मिमी इन्सास राईफल अपनी वाहिनी से लेकर आयेंगे एवं इस संस्थान के द्वारा उन्हे पी.आई प्रशिक्षण हेतु एम्युनेशन प्रदान किया जायेगा।

8) नकद और भुगतान –

सभी प्रशिक्षु को मैसींग और व्यक्तिगत खर्चे की पूर्ति हेतु पर्याप्त नकदी लेकर आना चाहियें। इसके अलावा सी.आई.ए.टी स्कूल में कोर्स कर रहे कर्मियो को वेतन और भत्ते संबंधित भुगतान उनकी वाहिनी के द्वारा सीधे खाते में जमा किया जायेंगा। यह संस्थान प्रशिक्षुओं को किसी प्रकार का वेतन और भत्ते देने में संलग्न नहीं होगा।

9) विविध –

1.) सामान्यतः सिलचर क्षेत्र में पूरे वर्ष गर्म एवं आर्द्रता भरा मौसम रहता है बारिश के मौसम को छोडकर जब यहॉ निरंतर तथा भारी बारिश होती है। अतः सभी प्रशिक्षुओं को अपने साथ रेन कोट, पॉलीथीन शीट तथा अतिरिक्त कपड़े लाने हेतु निर्देश दिया जाता है।

2.) सभी प्रशिक्षुओं को अपने खर्चे के लिये अपेक्षित नकद राशि साथ में लाना होगा ।

3.) प्रशासनिक प्रकृति के अनुरोध जैसे कि रिपोर्ट, प्रशिक्षुओं के बायो–डाटा, उनका विवरण, पिछली पोस्टिंग के विवरण, ए.सी.आर रिज्युम, पूछताछ प्रश्नावली, ए.आर.सी.एफ, जेडी/पी.ई.टी आदि वाहिनी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों की वाहिनी को अपने प्रशिक्षुओं को भेजने से पूर्व में या प्रशिक्षण के बाद में सबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के लिये निर्देशित किया जाता है।

4.) पी.आई कोर्स के लिये मेडिकल परीक्षा अनिवार्य है। सभी उम्मीदवारों को कोर्स करने के लिए अपनी फिटनेस प्रमाणपत्र लाना चाहिए, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण में शामिल होने हेतु फिटनेस प्रदान की गई हो। इसके अलावा उन्हें अपने साथ अपना मेडिकल हेल्थ कार्ड जिसमें शेप–एक की मान्य रिपोर्ट लिखी हो, को अपने साथ लाना अनिवार्य है।

5.) वाहिनीयो में अलग–अलग प्रकार के मॉडल के जी.पी.एस उपयोग किये जाते है तो सभी युनिट जो जी.पी.एस भेजते है, उन्में भिन्नता होती है या इस संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये उपयोग किये जाने वाले जी.पी.एस में भिन्नता होती है। इसलिए 05 प्रशिक्षुओं मे 01 न्यूनतम जी.पी.एस लाने की आवश्यकता है। पी.आई कोर्स के लिये सभी वाहिनी में उपलब्ध जी.पी.एस के नये मॉडल का जी.पी.एस को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करवायेंगे।

प्राचार्य सी.आई.ए.टी स्कूल
सिलचर, असम